न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) ,सीकर

उनवान विनोद कुमार बनाम डालूराम आदि

किस्म मुकदमा.....प्रार्थना पत्र.....मुकदमा नं..... 01/2020

क्र	आज्ञा पत्र	
5.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फॅर्म करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 267, 363, 282, 285, 502, 503, 504, 264 व 475 वाकै ग्राम मौल्यासी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 व 8 की संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमि है खसरा नम्बर 292 एवं 363 में प्रार्थी के पिता डालूराम की खातेदारी में 1/9 हक एवं हिस्सा है, खसरा नम्बर 282 एवं 285 में प्रार्थी के पिता डालूराम की खातेदारी में 1/32 हक एवं हिस्सा है, खसरा नम्बर 502, 503 एवं 504 में प्रार्थी के पिता डालूराम की खातेदारी में 109/5472 हक एवं हिस्सा है, खसरा नम्बर 264 एवं 475 में प्रार्थी के पिता डालूराम की खातेदारी में 1/2 हक एवं हिस्सा है, उक्त पैतृक कृषि भूमियों में प्रार्थी 1/6 हक व हिस्सा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार उद्घोषित कराने का अधिकार रखता है। फिर भी यदि अप्रार्थीगण अपने इस उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को इतनी असीमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकेगी। इस कारण माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी की होती है आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि तादौरान दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें। इस प्रकार अप्रार्थीगण विवादित कृषि भूमियों को विक्रित, आन्तरित, प्रभारित करने से बाज रहे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष चाहा गया है। आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किय गया। अप्रार्थी संख्या 6 ता 7 विधिवत तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से वकील सोहनलाल चौधरी ने हाजिर। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 8 की ओर जवाब आवेदन पेश किया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दिलवायी गई। जवाब आवेदन अनुसार प्रार्थी डालूराम का जायंदा पुत्र है परन्तु प्रार्थी डालूराम के भाई छोटूराम के गोद चला गया। छोटूराम ने प्रार्थी के हक में गोदनामा भी निष्पादित एवं पंजीकृत करवा दिया तथा छोटूराम की सम्पदाओ पर ही उसके विधिक वारिस के रूप में उसके साथ काबिज है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान, परेशान करने की दुर्भावना से प्रस्तुत मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो मय विशेष हर्जा खर्चा काबिले खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। बहस आवेदन पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया का मामला सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी की होती है। उसके विपरित अप्रार्थीगण वकील ने आवेदन पत्र के जवाब के बिन्दुओ को बहस के दौरान दोहराया तथा कथन किया की अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है प्रार्थी अपने 7/18 हिस्से पर काबिज है जिसमे जवाबदाता कोई दखलादाजी नही कर रहा है। बल्कि जवाबदाता जो अपने हिस्से पर काबिज है उसे वादी द्वारा परेशान किया जा रहा है। अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन मय खर्चा खारिज किया जावे। न्यायालय ने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2076.79 ग्राम मोल्यासी तहसील धोद जिला सीकर के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 267, 363, 282, 285, 502, 503, 504, 264 व 475 खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि है खसरा नम्बर 292 एवं 363 में प्रार्थी के पिता डालूराम की खातेदारी में 1/9 हक एवं हिस्सा है, खसरा नम्बर 282 एवं 285 में प्रार्थी के पिता डालूराम की खातेदारी में 1/32 हक एवं हिस्सा है, खसरा नम्बर 502, 503 एवं 504 में प्रार्थी के पिता डालूराम की खातेदारी में 109/5472 हक एवं हिस्सा है, खसरा नम्बर 264 एवं 475 में प्रार्थी के पिता डालूराम की खातेदारी में 1/2 हक एवं हिस्सा है, आवेदन स्थगन पर सर्वप्रथम यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया का मामला किस ओर है एवं सुविधा का संतुलन किस ओर है तथा स्थगन नहीं देने पर अपूर्णीय क्षति किसकी होती है।	

सहायक कलक्टर (द्वितीय)

विवादित प्रकरण में प्रार्थी के पिता का पैतृत संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में हक एवं हिस्सा है। इस प्रकार से प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होना पाया जाता है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी की ही होगी

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वाकै ग्राम मोल्यासी तहसील धोद जिला सीकर खसरा नम्बर 267, 363, 282, 285, 502, 503, 504, 264 व 475 का मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह फैसला मेरे द्वारा दिनांक 28/05/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर